

मोहित कुमार

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या - 5233/2025)

15 मई 2025

[माननीय न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता एवं माननीय न्यायमूर्ति मनमोहन]

विचारणीय मुद्दा

मुद्दा यह उत्पन्न हुआ कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण-पत्रों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है, जो भर्ती अधिसूचना में निर्धारित प्रारूप में नहीं थे।

हेडनोट्स

सेवा विधि - भर्ती - निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवारों द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना - आवश्यकता, यदि अनिवार्य हो - अपीलकर्ता-उम्मीदवार ने उप-निरीक्षक के पद के लिए आवेदन किया और उसे परीक्षा के लिए बुलाया गया - हालांकि, उसके अभ्यावेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसने निर्धारित प्रारूप में ओबीसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था और इस प्रकार, उसे सामान्य श्रेणी में माना गया - अपीलकर्ता द्वारा रिट याचिका - उच्च न्यायालय द्वारा खारिज - अन्य मामले में, प्रतिवादी-अभ्यर्थी को चयन सूची में नहीं रखा गया क्योंकि प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था - इसके खिलाफ रिट याचिका, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई, जिसमें भर्ती बोर्ड को प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र को स्वीकार करने और उसके आवेदन पर आगे कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया - खण्डपीठ ने इसे बरकरार रखा - औचित्य:

अवधारित किया गया: यद्यपि मामले के तथ्यों में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता के संबंध में कोई वैधानिक अधिदेश नहीं है, फिर भी संबंधित आवश्यकता कम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अनिवार्य नहीं है और इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए - एक बार भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाने पर, सभी उम्मीदवार कानून में समान व्यवहार के हकदार हैं - उम्मीदवारों के विभिन्न समूहों के लिए अलग-अलग मानदंड नहीं हो सकते हैं - अधिसूचना की शर्तों का पालन न करने पर उम्मीदवार की दावा की गई स्थिति को अस्वीकार करने के प्रतिकूल परिणाम सामने आएंगे - चयन निकाय/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आवेदन पर विचार न करना उचित होगा एक अभ्यर्थी को उस समुदाय का सदस्य मानना जिसके लिए आरक्षण स्वीकार्य है - चयन प्रक्रिया के संबंध में जारी किए गए विज्ञापन की शर्तों को आम तौर पर तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक कि चुनौती उल्लंघन के आधार पर न हो - भर्ती प्राधिकारी ही अपनी आवश्यकताओं के बारे में सबसे अच्छा निर्णय कर सकता है और भर्ती प्राधिकारी की ऐसी समझ ही अदालतों में लाए गए मामलों में सबसे अधिक मायने रखती है - प्रक्रिया शुरू होने के बाद, जिसमें अभ्यर्थियों ने किसी विशेष शर्त के अर्थ पर कोई आपत्ति उठाए बिना भाग लिया है, भले ही कोई भी शर्त अस्पष्ट हो, अदालतों को भर्ती प्राधिकारी के पक्ष में झुकना चाहिए - भले ही दोनों उम्मीदवारों को इस बात पर संदेह हो कि उनके पास जो प्रमाण पत्र हैं, वे पर्याप्त होंगे या नहीं, उन्हें ऐसा स्पष्टीकरण मांगने और साथ ही, अपेक्षित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संबंधित तहसीलदारों से संपर्क करने से कोई नहीं रोक सकता - यह नहीं कहा जा सकता कि अपेक्षित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बोर्ड की ओर से आग्रह महज एक औपचारिकता है, जिसे इसलिए टाला जा सकता था क्योंकि उनके पास दूसरे प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र थे - इस प्रकार, अभ्यर्थी किसी राहत के हकदार नहीं हैं। [पैरा 14, 19, 21, 24]

उद्धृत केस लॉ

रजिस्ट्रार जनरल कलकत्ता हाई कोर्ट बनाम श्रीनिवास प्रसाद शाह एवं अन्य [2013] 3 एससीआर 211: (2013) 12 एससीसी 364 - पर अवलंब लिया गया।

बेदगां तालुकदार बनाम सैफुद्दीन खान [2011] 11 एससीआर 635 : (2011) 12 एससीसी 85; तमिलनाडू राज्य बनाम जी. हेमलता (2020) 19 एससीसी 430; डॉली छंदा बनाम चेयरमैन, जी एवं अन्य[2004] अनुपूरक 5 एससीआर 79: (2005) 9 एससीसी 779; धीरेन्द्र सिंह पालिवाल बनाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (2017) 11 एससीसी 276; राम कुमार गिजरोया बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और अन्य (2016) 4 एससीसी 754; कर्ण सिंह यादव बनाम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दिल्ली सरकार एवं अन्य (2024) 2 एससीसी 588; मीता सहाय बनाम बिहार राज्य [2019] 15 एससीआर 273 : (2019) 20 एससीसी 17 – संदर्भित।

गौरव शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2013 एससीसी ऑनलाइन सभी 1286 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994; उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक (सिविल पुलिस) सेवा (संशोधित) नियमावली, 2015; संपत्ति कर अधिनियम, 1957।

महत्वपूर्ण शब्दों की सूची

ओबीसी प्रमाण पत्र; निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र; अहीर समुदाय; सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार; आरक्षण; भर्ती प्राधिकरण; उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड; भर्ती अधिसूचना; उप-निरीक्षक का पद; सार्वजनिक रोजगार; आरक्षण का लाभ; चयन प्रक्रिया।

से उद्धृत वाद

सिविल अपील की क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5233/2025

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22.02.2023 के निर्णय एवं आदेश से, रिट अपील संख्या - 18987/2022

के साथ

सिविल अपील संख्या 5234/2025

पक्षकारों के लिए अधिवक्ताओं की उपस्थिति

अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्तागण:

राहुल कौशिक, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार गौरव, टाम जोसेफ, सुश्री क्रिश्चन सेठ, सुश्री रुचिरा गोयल, सुश्री वीरा महली, सरन्या सिंह.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रत्यर्थियों के लिए अधिवक्तागण:

रुचिरा गोयल, सुश्री वीरा महुली, शरण्या सिंह, कुमार गौरव, टॉम जोसेफ, सुश्री आर्या कृष्णन, प्रशांत भारद्वाज।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता

1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से उत्पन्न ये अपीलें ¹ अलग-अलग रिट याचिकाओं² पर अलग-अलग परिणामों के साथ लेकिन एक ही भर्ती प्रक्रिया से संबंधित, कानून का एक सामान्य प्रश्न उठाते हैं।
2. प्रत्यर्थी संख्या 3/उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ³ 24 फरवरी 2021 को वर्ष 2020-2021 हेतु उपनिरीक्षक सिविल पुलिस एवं प्लाटून कमांडर पीएसी एवं अग्निशमन अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु एक अधिसूचना जारी की गई ⁴। अपीलकर्ता-मोहित कुमार⁵ दिनांक 20 अप्रैल 2021 को उप-निरीक्षक, सिविल पुलिस के साथ-साथ प्लाटून कमांडर के पद के लिए आवेदन किया और उसके बाद परीक्षा के लिए बुलाया गया, जो 17 मई 2022 को आयोजित की गई थी।
3. यूपीपीआरपीबी द्वारा आयोजित परीक्षा में मोहित को 313.84 अंक मिले। चयनित न होने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित हुई, जिसमें मोहित का पंजीकरण क्रमांक 11108 अंकित था। इससे व्यथित होकर मोहित ने 21 जुलाई 2022 को यूपीपीआरपीबी को एक अभ्यावेदन दिया। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर मोहित ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका⁶ दायर की, जिसमें प्रार्थना की गई कि उसके अभ्यावेदन पर विचार किया जाए। उच्च न्यायालय ने 4 अगस्त 2022 में, यूपीपीआरपीबी के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि वे अभ्यावेदन पर विचार करें और 4 सप्ताह के भीतर उस पर एक तर्कसंगत आदेश पारित करें।

1 उच्च न्यायालय

2 रिट ए संख्या - 11413/2022 एवं रिट ए संख्या - 18987/2022

3 यूपीपीआरपीबी

4 चयन अधिसूचना

5 मोहित

6 रिट-ए संख्या - 11413/2022

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. प्रत्यर्थी संख्या 4⁷, ने 15 सितंबर 2022 के अपने आदेश द्वारा मोहित के अभ्यावेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसने प्रारंभिक भर्ती विज्ञप्ति के समय निर्धारित प्रारूप में ओबीसी प्रमाणपत्र⁸ प्रस्तुत नहीं किया था और इस प्रकार, उसे ओबीसी श्रेणी के बजाय सामान्य श्रेणी में माना गया। सामान्य श्रेणी के लिए कट-ऑफ अंक 316.11 थे, जबकि ओबीसी श्रेणी के लिए 305.542 थे। आदेश में यह भी कहा गया है कि मोहित के अपने मामले के अनुसार , आवेदन के समय उसने राज्य सरकार के बजाय केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र का उल्लेख किया था।

5. मोहित ने एक बार फिर उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका⁹ के माध्यम से उनके अभ्यावेदन को खारिज करने वाले आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 22 मार्च 2023 के फैसले और आदेश द्वारा, रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिका में दिया गया आदेश लागू नहीं होता और उसमें हस्तक्षेप की मांग की। मोहित की रिट याचिका को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को मुख्य अपील में चुनौती दी गई है।

सिविल अपील संख्या - 5234/2025 के तथ्य

6. यूपीपीआरपीबी ने मुख्य अपील में उल्लिखित उसी अधिसूचना द्वारा, वर्ष 2020-2021 के लिए उप-निरीक्षक (एसआई) सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर और पीएसी तथा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की। एकमात्र प्रतिवादी -किरण प्रजापति¹⁰ ने 8 अप्रैल 2021 को उप-निरीक्षक (एसआई) सिविल पुलिस के पद के लिए ओबीसी श्रेणी में आवेदन किया था । मुख्य अपील के समान, किरण ने परीक्षा दी और 287 अंक प्राप्त करके उसे उत्तीर्ण किया। उल्लेखनीय है कि सामान्य श्रेणी और ओबीसी श्रेणी के लिए कट -ऑफ अंक 296.597 और 285.92 थे। हालाँकि, दस्तावेजों के सत्यापन के बाद और यह देखते हुए कि किरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में ओबीसी प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया था , यूपीपीआरपीबी ने उन्हें चयन सूची में शामिल नहीं किया। इस अस्वीकृति के विरुद्ध , किरण ने यूपीपीआरपीबी को एक अभ्यावेदन दिया।

7. कोई जवाब नहीं मिलने पर, किरण ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें उनके द्वारा प्रस्तुत ओ. बी. सी. प्रमाणपत्र को स्वीकार करने के लिए निर्देश देने की मांग

7 अपर सचिव यूपीपीआरपीबी

8 अन्य पिछड़ा वर्ग

9 रिट-ए संख्या - 18987/2022

10 किरण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

की गई। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 27 मार्च 2023 के आदेश के माध्यम से रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और यू. पी. पी. आर. पी. बी. को किरण द्वारा प्रस्तुत ओ. बी. सी. प्रमाण पत्र को स्वीकार करने और उसके आवेदन को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ, यू. पी. पी. आर. पी. बी. ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष अपील की। 25 अगस्त 2023 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की।

7. कोई उत्तर न मिलने पर, किरण ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका¹¹ दायर की, जिसमें उनके द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र को स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग की गई। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 27 मार्च 2023 के आदेश द्वारा रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और यूपीपीआरपीबी को किरण द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र को स्वीकार करने और उनके आवेदन पर आगे कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध, यूपीपीआरपीबी ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील¹² दायर की। 25 अगस्त 2023 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की।

8. अपीलकर्ताओं ने संबंधित अपील में उनकी अपील को खारिज करने के उच्च न्यायालय के इस आदेश को चुनौती दी है।

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्तुत दलीलें

9. राज्य और यूपीपीआरपीबी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री रुचिरा गोयल ने तर्क दिया कि भर्ती अधिसूचना /विज्ञप्ति और उसके परिणामस्वरूप यूपीपीआरपीबी द्वारा निर्धारित आवश्यकता यूपीपीआरपीबी द्वारा मोहित और किरण की उम्मीदवारी को अस्वीकार करना वैध था। उन्होंने आगे आग्रह किया कि:

- i. यूपीपीआरपीबी द्वारा आयोजित भर्ती उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (सिविल पुलिस) सेवा (संशोधित) नियमावली, 2015¹³ के तहत थी। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994¹⁴ उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण का

11 रिट याचिका संख्या - 5245/2023

12 विशेष अपील डिफेक्टिव संख्या - 562/2023

13 नियमावली 2015

14 अधिनियम 1994

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रावधान करता है। दिनांक 17 दिसंबर, 2014 का एक शसनादेश ¹⁵ अधिनियम, 1994 के तहत जारी अधिसूचना में 8 लाख रुपये या उससे अधिक की सकल वार्षिक आय वाले या संपत्ति कर अधिनियम, 1957 के तहत छूट प्राप्त सीमा से अधिक संपत्ति रखने वाले व्यक्तियों के लिए ओबीसी आरक्षण को प्रतिबंधित किया गया था।

ii. विज्ञापन में कहा गया था कि 2437 पद ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे और विज्ञापन के खंड 5.4(4) में पात्रता मानदंड निर्धारित किया गया था, जो इस प्रकार है:

5.4(4) यदि अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप-1 में निर्धारित अवधि के भीतर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं या यदि वे भारत सरकार की सेवाओं के लिए मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं, तो उन्हें अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाएगा।

(प्रभाव वर्धित)

iii. मोहित और किरण दोनों ने अपना ओबीसी (एनसीएल) जाति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार में नियुक्तियों के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया, न कि राज्य सरकार के लिए निर्धारित प्रारूप में, जैसा कि खंड 5.4(4) द्वारा अनिवार्य है।

iv. चूंकि मोहित और किरण को अनारक्षित श्रेणी में माना गया था और उन्होंने आवश्यक कट-ऑफ अंकों से कम अंक प्राप्त किए थे, इसलिए उनका चयन नहीं किया गया।

v. उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा दिया गया निर्णय *गौरव शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*¹⁶ के मामले में यह तर्क दिया गया कि क्रीमी लेयर की पहचान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित वित्तीय मानदंडों में कोई विरोधाभास नहीं है।

vi. खंड 5.4(4) में दिए गए मानदंडों का उद्देश्य और औचित्य क्रीमी लेयर का अनुपालन या उसकी पुष्टि सुनिश्चित करना है, जिसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार समय-समय पर पुनर्परिभाषित करती हैं। हालांकि क्रीमी लेयर के मानदंड किसी निश्चित समय पर एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा बदलते रहते हैं। व्यक्तिपरक प्रकृति को देखते हुए, यह आवश्यक है कि सभी उम्मीदवार यह प्रमाण प्रस्तुत करें कि वे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बहिष्करण क्षेत्र में नहीं आते हैं। इसके अभाव में, राज्य मशीनरी पर केंद्र सरकार के लिए जाति प्रमाण पत्र

15 जी.ओ. संख्या 13/22/16/92/टीसी-iii-का-2/2014

16 2013 एससीसी आनलाईन इला 1266

प्रस्तुत करने वाले व्यक्तिगत उम्मीदवारों की जाँच का भार होगा और उन्हें यह भी पता लगाना होगा कि क्या वे राज्य सरकार के नियमों के तहत ओबीसी-एनसीएल के रूप में भी योग्य हैं।

vii. भर्ती अधिसूचना के प्रारूप-1 में निर्धारित प्रारूप में स्पष्ट रूप से यह अपेक्षित है कि अभ्यर्थी के माता-पिता की लगातार तीन वर्षों की सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये से अधिक न हो और उसके पास संपत्ति कर अधिनियम 1957 में निर्धारित छूट सीमा से अधिक संपत्ति न हो। केन्द्र सरकार के अधीन नौकरियों के लिए निर्धारित जाति प्रमाण पत्र में इस प्रावधान का कोई स्थान नहीं है।

viii. केंद्र सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8 सितंबर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93 अधिष्ठान (एससीटी) या भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचना, जिसे दिनांक 9 मार्च, 2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004 स्थापना (निवास) द्वारा संशोधित किया गया है और जिसे दिनांक 14 फरवरी, 2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्थापना (निवास) द्वारा और संशोधित किया गया है या भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचना का हवाला देती है, जबकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप 17 दिसंबर, 2014 के शासनादेश के अनुसार है।

ix. मोहित और किरण द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे तथ्यों के आधार पर अलग-अलग हैं क्योंकि उन मामलों में अभ्यर्थी पहले ही ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत कांस्टेबल के रूप में नियुक्त हो चुके थे और वर्तमान भर्ती अधिसूचना के अंतर्गत पदों के लिए उसी श्रेणी में नियुक्ति की मांग कर रहे थे। इस प्रकार, उन मामलों में, जाति श्रेणी पहले ही यूपीपीआरपीबी द्वारा सत्यापित हो चुकी थी।

x. *बेदंगा तालुकदार बनाम सैफुद्दुल्लाह खान*¹⁷ के निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया कि यदि नियमों में छूट का प्रावधान नहीं है तो छूट की अनुमति नहीं है।

xi. मोहित की रिट याचिका को खारिज करने वाले आक्षेपित निर्णय में, *तमिलनाडु राज्य बनाम जी. हेमलता*¹⁸ मामले में इस न्यायालय के फैसले के अनुपात पर सही विचार किया गया।

xii. उक्त अधिसूचना के अंतर्गत, अंतिम चयन परिणाम के प्रकाशन के बाद कोई रिक्तियाँ नहीं बचीं। हालाँकि, अंतिम परिणाम के बाद, 122 पद अंततः या तो उम्मीदवारी रद्द होने या मृत्यु या चिकित्सा परीक्षण में अनुपस्थिति/अयोग्यता या निष्कासन के कारण रिक्त रह गए। 2015 के

17 (2017) 19 एससीसी 85

18 (2020) 19 एससीसी 430

नियमों के अनुसार , रिक्त पदों को अगले चयन के लिए आगे बढ़ाया जाना आवश्यक था। परिणामस्वरूप, भर्ती अधिसूचना के अंतर्गत, 122 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रिक्त पद जो रिक्त रह गए थे, उन्हें चयन वर्ष 2023-24 के लिए आगे बढ़ा दिया गया और अधिसूचना प्रकाशित करने की प्रक्रिया जारी है।

मोहित एवं किरण की ओर प्रस्तुत दलीलें

10. मोहित की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राहुल कौशिक ने कहा कि मोहित द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र निम्नलिखित कारणों/आधारों पर स्वीकार किया जाना चाहिए था:

- i. केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए ओबीसी प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है।
- ii. मोहित एक गरीब परिवार से है और एक विशेष प्रारूप में प्रमाण पत्र के अभाव में उसकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी।
- iii. मोहित ने 313.684 अंक प्राप्त किए हैं जो ओबीसी उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कट-ऑफ, अर्थात् 305.542 अंक से अधिक है, योग्यता को उसके नुकसान और पूर्वाग्रह के लिए काफी हद तक नजरअंदाज किया गया है।
- iv. मोहित अहीर समुदाय से हैं, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य में पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।
- v. *डॉली छंदा बनाम चेयरमैन, जी एवं अन्य*,¹⁹ के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का हवाला इस बात पर प्रकाश डालने के लिए दिया गया कि नियम का हर उल्लंघन आवश्यक रूप से उम्मीदवारी को अस्वीकार नहीं कर सकता।
- vi. *धीरेन्द्र सिंह पालीवाल बनाम संघ लोक सेवा आयोग*²⁰ के मामले में यह प्रस्ताव दिया गया कि किसी भी अभ्यर्थी की योग्यता के संबंध में किसी भी संदेह की स्थिति में , अभ्यर्थी से अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता था।

19 (2005) 9 एससीसी 779

20 (2017) 11 एससीसी 276

vii. *राम कुमार गिजरोया बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एवं अन्य*²¹ और *कर्ण सिंह यादव बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार एवं अन्य*²² में इस न्यायालय के निर्णयों का हवाला हमें यह याद दिलाने के लिए दिया गया कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों को आरक्षण प्रदान करने का उद्देश्य रोजगार में असमानताओं को दूर करना और समाज के शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करना है; इसलिए, अपने दृष्टिकोण में बहुत अधिक तकनीकी होना और आरक्षण द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को नज़रअंदाज़ करना अनुचित होगा।

11. किरण के विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार गौरव ने श्री कौशिक के तर्कों को स्वीकार किया।

मुद्दा

12. विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या यूपीपीआरपीबी मोहित और किरण द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्रों को स्वीकार करने के लिए बाध्य था, जो कि भर्ती अधिसूचना में निर्धारित प्रारूप में नहीं थे।

13. हम अपनी चर्चा की शुरुआत सबसे पहले *रजिस्ट्रार जनरल, कलकत्ता उच्च न्यायालय बनाम श्रीनिवास प्रसाद शाह एवं अन्य*²³ में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देकर कर सकते हैं। प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम प्रत्यर्थी को न्यायिक सेवा परीक्षा के संबंध में भर्ती के लिए अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य होने के उसके दावे के बजाय एक सामान्य उम्मीदवार के रूप में विचार करना उचित था। विज्ञापन में निर्धारित किया गया था कि आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए जैसा कि कथित अधिनियम और एससी / एसटी कल्याण विभाग आदेश संख्या 261-टीडब्ल्यू/ईसी/एमआर-103/94 दिनांक 6 अप्रैल, 1995 में निर्दिष्ट है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बजाय, प्रथम प्रत्यर्थी ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के निदेशक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसे अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य प्रमाणित किया गया था; इसलिए ऐसे प्रमाण पत्र को नज़रअंदाज़ कर दिया गया और उसे एक सामान्य उम्मीदवार माना गया। प्रथम प्रत्यर्थी इतना भाग्यशाली था कि उसे कलकत्ता उच्च न्यायालय में दोनों स्तरों पर सफलता मिली, जहाँ लोक सेवा आयोग को उसे अनुसूचित

21 (2016) 4 एससीसी 754

22 (2024) 2 एससीसी 588

23 (2013) 12 एससीसी 364

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जनजाति का उम्मीदवार मानने का निर्देश दिया गया था, परन्तु इस न्यायालय के समक्ष भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया। यह निर्णय इस प्रकार दिया गया:

15. "हमें आयोग द्वारा प्रत्यर्थी के आवेदन को एसटी उम्मीदवार के रूप में स्वीकार न करने के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं दिखती है क्योंकि पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पहचान) अधिनियम, 1994 के तहत सक्षम प्राधिकारी से कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। उम्मीदवारों को दी गई जानकारी में विशेष रूप से कहा गया है कि एससी /एसटी/बीसी होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों के पास पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पहचान) अधिनियम, 1994 में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रत्यर्थी द्वारा उस सक्षम प्राधिकारी से ऐसा कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, अपेक्षित प्रमाण पत्र के अभाव में, आयोग द्वारा उसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में मानना उचित था। पहली बार प्रत्यर्थी ने सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र तभी प्रस्तुत किया था जब वह 30-7-2010 को आयोजित परीक्षा में उपस्थित हुआ था, उस समय तक उसने 22-9-2009 को सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था। यह सच है कि 2007 की परीक्षा के समय आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकारी से ऐसा कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी को सामान्य श्रेणी का अभ्यर्थी माना गया और इसलिए उसे 2007 में आयोजित परीक्षा में न्यायिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति नहीं मिल सकी।

16. हमारा यह मानना है कि पश्चिम बंगाल राज्य विधान सभा द्वारा पारित विशिष्ट कानून अर्थात् पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पहचान) अधिनियम, 1994, और उम्मीदवारों को जारी अधिसूचना में विशिष्ट शर्त के मद्देनजर, *माधुरी पाटिल बनाम आयुक्त, आदिवासी विकास [(1994) 6 एससीसी 241]* के दिशानिर्देश 10 के पैरा 13 के अनुसार, यह विशेष रूप से इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता। अधिनियम, निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, पश्चिम बंगाल को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मान्यता नहीं देता। इसलिए, आयोग द्वारा निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, पश्चिम बंगाल द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर भरोसा न करना उचित था। ..."

(मूल प्रारूप में इटैलिक)

14. उपरोक्त निर्णय से यह निष्कर्ष निकलता है कि सार्वजनिक रोजगार के लिए इच्छुक व्यक्ति चाहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे किसी विशेष समुदाय से संबंधित हो या नहीं, आरक्षण का लाभ पाने के लिए उसके द्वारा दावा किया गया दर्जा अपने आप में निर्णायक नहीं है। ऐसी स्थिति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करने और यह प्रमाणित करने के बाद प्रमाणित किया जाना चाहिए कि अभ्यर्थी वही है जिसका वह दावा करता है। श्रीनिवास प्रसाद शाह (उपरोक्त) के मामले में, एक वैधानिक आदेश के मद्देनजर सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता को अनिवार्य माना गया था। यद्यपि वर्तमान मामले के तथ्यों में ऐसा कोई वैधानिक आदेश नहीं है, फिर भी विचाराधीन आवश्यकता कम अनिवार्य नहीं है और इसका पूरी निष्ठा से पालन किया जाना चाहिए। एक बार भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, सभी अभ्यर्थी कानूनन समान व्यवहार के हकदार हैं। विभिन्न अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग मानदंड नहीं हो सकते। विज्ञापन/अधिसूचना की शर्तों का पालन न करने पर, चयन निकाय/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के दावा किए गए तथ्य को अस्वीकार किए जाने के प्रतिकूल परिणाम सामने आ सकते हैं, यदि वह उसका पालन नहीं करना चाहता। इस बात को ध्यान में रखते हुए, चयन निकाय/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी अभ्यर्थी के आवेदन को उस समुदाय के सदस्य के रूप में स्वीकार न करना न्यायोचित होगा, जिसके लिए आरक्षण अनुमन्य है।

15. उपरोक्त निर्णय द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव पर किसी भी बाद के निर्णय में संदेह नहीं किया गया प्रतीत होता है और हम इसका समर्थन करते हैं।

16. आइए अब हम इस बात की जांच करें कि क्या इस संबंध में स्थापित कानून के आलोक में मोहित और किरण किसी राहत के हकदार हैं।

17. भर्ती अधिसूचना के खंड 5.4(4) का ऊपर उल्लेख किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रारूप-1 में अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसके क्या परिणाम होंगे। यह सच है कि मोहित और किरण द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र प्रारूप-1 से मेल नहीं खाते। इस प्रकार, हमें यह पता लगाने के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवश्यकता नहीं है कि मोहित और किरण के साथ अनुचित व्यवहार किया गया है या नहीं। हालाँकि, चूँकि श्री कौशिक ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया है कि मोहित अंततः ओबीसी वर्ग से संबंधित है, और किरण की ओर से उपस्थित श्री कुमार गौरव ने उनका समर्थन किया है, इसलिए हम इस तर्क पर भी विचार करना उचित समझते हैं।

18. यहाँ, उत्तर प्रदेश सरकार नियुक्ति प्राधिकारी है। यूपीपीआरपीबी द्वारा आवश्यक अनुशंसाएँ प्राप्त होने के बाद नियुक्तियाँ की जाएँगी। भर्ती की पूरी प्रक्रिया वैधानिक नियमों द्वारा विनियमित होती है। क्या किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह, जो भर्ती अधिसूचना की शर्तों का पालन नहीं करते हैं, को चयन परिणाम पसंद न आने पर प्रश्न उठाने की अनुमति है?

19. अब यह बहुत समय तक अनिर्णीत नहीं है कि प्रक्रिया के संबंध में जारी किए गए विज्ञापन की शर्तों को आम तौर पर चुनौती नहीं दी जा सकती, जब तक कि चुनौती संविधान के अनुच्छेद 16 या, इस मामले में, अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर स्थापित न हो। एक बार सार्वजनिक रोजगार के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाला विज्ञापन जारी होने के बाद, यह उम्मीदवार की जिम्मेदारी है, बल्कि कर्तव्य है कि वह शर्तों को पढ़े और नोट करे और समझें कि इसकी आवश्यकताएँ क्या हैं। यदि किसी उम्मीदवार को कोई भी शर्त अस्पष्ट लगती है और विज्ञापन में अंतर्निहित जांच की गुंजाइश है या किसी नियम/विनियम द्वारा प्रदान की जाती है, तो आवश्यकताओं को सटीक रूप से समझने के लिए पहले स्पष्टता प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि ऐसी कोई गुंजाइश उपलब्ध नहीं है, तो कोई भी चीज उम्मीदवार को प्रतिनिधित्व करके स्पष्टता प्राप्त करने से नहीं रोकती है। अगर ऐसी स्पष्टता प्रदान नहीं की जाती है, तो उम्मीदवार अपने अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना प्रक्रिया में भाग ले सकता है और चयनित न होने के बाद भी शर्तों पर सवाल उठा सकता है। तथापि, यदि अभ्यर्थी ऐसा कोई प्रयास नहीं करता है और विज्ञापन में विवादित शब्द की अपनी समझ के आधार पर चयन का एक मौका मिलता है और बाद में असफल हो जाता है, तो सामान्यतः उसके लिए इस आधार पर चयन को चुनौती देना संभव नहीं होगा कि विवादित शब्द अलग तरह से समझा जा सकता है। ऐसे मामलों में, अदालतों को अस्पष्टता की ऐसी दलील पर विचार करने से बचना चाहिए और भर्ती प्राधिकारी की उक्त शब्द की समझ को स्वीकार करना चाहिए। इसका सीधा सा कारण यह है कि भर्ती प्राधिकारी ही अपनी आवश्यकताओं का सबसे अच्छा निर्णायक होता है और अदालतों के समक्ष लाए गए मामलों में भर्ती प्राधिकारी की ऐसी समझ ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है ;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इसलिए, प्रक्रिया शुरू होने के बाद , जिसमें उम्मीदवारों ने किसी विशेष शब्द के अर्थ पर कोई आपत्ति उठाए बिना भाग लिया है, भले ही कोई भी शब्द अस्पष्ट हो, अदालतों को भर्ती प्राधिकारी के पक्ष में झुकना चाहिए।

20. हम इस न्यायालय द्वारा *मीता सहाय बनाम बिहार राज्य*²⁴ के मामले में 'प्रारंभिक मुद्दे' शीर्षक के अंतर्गत दिए गए निर्णय के पैराग्राफ 15 से 19 में की गई टिप्पणियों से अवगत हैं। यदि चयन निकाय/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया ऐसी है कि वह संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करती है , तो किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रक्रिया को चुनौती देने को केवल इस आधार पर शुरू में ही नहीं रोका जा सकता कि उसने प्रक्रिया में भाग लिया है। हम इस निर्णय को इस मान्यता के रूप में भी पढ़ते हैं कि किसी अभ्यर्थी के लिए प्रक्रिया में जब तक कि चयन सूची प्रकाशित न हो जाए किसी भी अवैधता का पूर्वानुमान लगाना हमेशा संभव नहीं हो सकता है, ऐसे सभी मामलों में, जहाँ अवैधता का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था , प्रक्रिया को चुनौती देने को इस भ्रामक आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि अभ्यर्थी ने प्रक्रिया में भाग लेने के बाद, अपना अधिकार खो दिया है।

21. जैसा भी हो, खंड 5.4(4) जिससे हम संबंधित हैं, अस्पष्टता से कोसों दूर है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यूपीपीआरपीबी की क्या आवश्यकता थी और इसका पालन न करने पर क्या परिणाम होंगे। ऐसी आवश्यकता के मद्देनजर , किसी भी अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र जारी करने के प्रारूप के बारे में रती भर भी संदेह नहीं हो सकता था। भले ही मोहित और किरण को इस बात पर संदेह था कि उनके पास मौजूद प्रमाण पत्र पर्याप्त होंगे या नहीं , फिर भी उन्हें इस तरह का स्पष्टीकरण मांगने और साथ ही, संबंधित तहसीलदारों से अपेक्षित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संपर्क करने से कोई नहीं रोक सकता था। यह नहीं दिखाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रारूप में दूसरा प्रमाण पत्र प्राप्त करना किसी भी कानून द्वारा वर्जित था। इसे ध्यान में रखते हुए , मोहित और किरण दोनों इस तर्क का सहारा नहीं ले सकते कि यूपीपीआरपीबी द्वारा अपेक्षित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी करने पर जोर दिया जाना यह महज एक औपचारिकता है, जिसे समाप्त किया जा सकता था, क्योंकि उनके पास दूसरे प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र थे।

24 (2019) 20 एससीसी 17

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

22. अंततः, यूपीपीआरपीबी ने सुश्री गोयल द्वारा बताए गए अपेक्षित प्रारूप में प्रमाण पत्र के लिए जोर क्यों दिया है [उपर्युक्त पैराग्राफ 9 (vi) से (viii) में दर्ज], हम इसे स्वीकार करते हैं।
23. हम जानते हैं कि मोहित और किरण जैसे समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों को उच्च न्यायालय द्वारा पहले भी राहत दी जा चुकी है और इस न्यायालय की समन्वित पीठों ने ऐसे निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया है। हालाँकि, ऐसे सभी मामलों में, विशेष अनुमति याचिकाएँ प्रवेश स्तर पर ही खारिज कर दी गईं और इसलिए, वे बाध्यकारी मिसाल के रूप में काम नहीं करतीं।
24. उपरोक्त कारणों से मोहित और किरण किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं।
25. परिणामस्वरूप, मुख्य अपील खारिज की जाती है, जबकि संबद्ध अपील स्वीकार की जाती है।

मामले का परिणाम: अपीलों का निस्तारण कर दिया गया।

हेडनोट्स निधि जैन द्वारा तैयार किए गए:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।